तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
5/6/25	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। पूर्वानुसार दिनांक 27/6/25 को पेश हो।
27/6/25	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। पूर्वानुसार दिनांक 28/7/25 को पेश हो [signature]
28/7/25	पत्रावली पेश हुई। अधि० प्रार्थी उपस्थित पत्रावली वास्ते जवाब सरकार दिनांक 5/8/25 को पेश हो [signature]
5/8/25	पत्रावली पेश हुई। अधि० प्रार्थी उपस्थित पत्रा० पूर्वानुसार दिनांक 14/8/25 को पेश हो [signature]
14/8/25	पत्रावली पेश हुई। अधि० प्रार्थी उपस्थित तहसीलदार उपरोक्त से जवाब प्राप्त शामिल पत्रावली किया। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक 26/8/25 को पेश हो [signature]
26/8/25	पत्रावली पेश हुई। अधि० प्रार्थी उपस्थित पत्रावली ~~वास्ते आगामी कार्यवाही दिनांक~~ के अधि० प्रार्थी की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 29/8/25 को पेश हो
29/8/25	पत्रावली पेश हुई। अधि० प्रार्थी उपस्थित प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा गया

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	प्रार्थी श्री0 निम्न है। पत्रावली फैसला अनुसार री नम्बर से दर्ज होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। Sohan सहायक कलेक्टर उच्चैन (भरतपुर)	

न्यायालय सहायक कलक्टर,उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः– सुश्री भारती गुप्ता (आर.ए.एस)
वाद पत्र कमांकः– 11/2023

1. देवेन्द्र कुमार पुत्र बाबूलाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम अंधियारी तहसील उच्चैन।

.....वादी

बनाम

1. श्रीमान जिला अधिकारी कलैक्टर सहाब महोदय, भरतपुर राज0।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार उच्चैन।

.....प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 आर.टी.ए.

उपस्थिति

1. श्री गजेन्द्र पंचौली एडवोकेट

निर्णय **दिनांकः–29.08.2025**

वादी ने यह प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत पेश कर निवेदन किया है विवादित आराजी का पुराना खसरा नम्बर 342 मिन 13 बीघा 07 विस्वा था जिसका नया खसरा नम्बर 473 रकवा 0.95है0 बाके ग्राम अंधियारी तहसील उच्चैन में स्थित है। जिसमें वादी/प्रार्थी 5 बीघा 0.82है0 भूमि का खातेदार काश्तकार काबिज आराजी है। उक्त विवादित आराजी प्रार्थी को उसके पूर्वजों से जरिये विरासत प्राप्त हुई है तथा जिसको प्रार्थी के पिता बाबूलाल अपने जीवनकाल में बतौर खातेदार काश्तकार जोतते बोते चले आ रहे है। उक्त विवादित आराजी प्रार्थी को भाईबंट के अनुसार न्यारानूर हिस्से में विरासत से प्राप्त हुई है इसकी एवज में वादी प्रार्थी ने अपना हिस्सा अन्य वारिसान को भाईबंट में दे दिया है। विरासत से प्राप्त उक्त आराजी को प्रार्थी बतौर खातेदार काश्तकार आज तक काश्त करता आ रहा है एवं विवादित आराजी कभी भी खाली पडत या बारानी नही रही है। उक्त आराजी पर मुझ प्रार्थी का पचासों सालों से एडवर्स पजेशन चला आ रहा है। दिनांक 30.07.2022 को जब प्रार्थी अपने खेत पर गया तो राज0 सरकार के प्रतिनिधि मौके पर आये और विवादित आराजी में काश्त नहीं करने को कहा। प्रार्थी द्वारा विवादित आराजी का राजस्व रिकार्ड प्राप्त होने पर जानकारी हुई की विवादित आराजी का राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज राजस्थान सरकार के नाम दर्ज कर रखा है एवं किस्म बारानी दर्ज कर दिया गया है जो कि खिलाफ मौका व कानून है। प्रार्थी जब उक्त गलत इन्द्राज को सही कराने बाबत् अप्रार्थी संख्या 2 से मिला तो अप्रार्थी सं0 2 के द्वारा कार्यवाही करने से स्पष्ट

सहायक कलक्टर
उच्चैन (भरतपुर)

Scanned by CamScanner

मना कर दिया। जिसके कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में पेश किया है एवं अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधज्ञा पाबंद फरमाये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी पैरोकार सरकार तहसीलदार उच्चैन के द्वारा जबाव पेश कर निवेदन किया कि उक्त विवादित आराजी खसरा नम्बर 473 रकवा 0.95है0 बर्तमान जमाबंदी के अनुसार खाता नं0 1 किस्म बारानी तृतीय राजस्थान सरकार के नाम दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किये जाने योग्य है।

अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि उक्त विवादित आराजी वादी को अपने पूर्वजों से प्राप्त हुई है एवं उक्त आराजी पर पचासों सालों से प्रार्थी एवं उसके पूर्वजों की कब्जा काश्त रही है एवं मौके पर आज भी प्रार्थी का कब्जा है। अप्रार्थी उक्त विवादित आराजी में प्रार्थी को शान्ति पूर्वक काश्त नहीं करने दे रहे है। अप्रार्थीगण को ताफैसला बाद जरिये अस्थाई निषेधज्ञा से पाबंद फरमाये जाने का निवेदन किया है।

मेरे द्वारा विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया प्रार्थना पत्र, जबाव प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में प्रथमदृष्टया विषयवस्तु (प्राईमाफेसी केस) को समझना आवश्यक है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त विवादित आराजी राज. सरकार के नाम दर्ज रिकार्ड है जिसकी किस्म बारानी तृतीय है। उक्त आराजी में प्रार्थी एडवर्स पजेशन के आधार पर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधज्ञा पाबंद करबाना चाह रहा है। उक्त आराजी बाबत् अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधज्ञा पाबंद किया जाना न्यायेचित प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार प्रकरण में मजबूत प्रथमदृष्या विषयवस्तु/विवाद कारण उत्पन्न होना प्रतीत नहीं होता है।

प्रकरण में अब प्रार्थी को होने वाली अपूरणीय क्षति को समझना आवश्यक है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी उक्त आराजी में खातेदार काश्तकार नहीं है एवं विवादित आराजी राज. सरकार के नाम दर्ज है। यदि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधज्ञा पाबंद नहीं किया जाता है तो प्रार्थी के अधिकारों पर नकारात्मक एवं अपूर्णीय क्षति होना सम्भावित प्रतीत नहीं होता है इस प्रकार प्रकरण में प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होना प्रतीत नहीं होता है।

प्रकरण में अब सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में झुकाव रखने के बारे में समझना आवश्यक है। उक्त विवादित आराजी राज. सरकार के नाम दर्ज रिकार्ड है जिसकी किस्म बारानी तृतीय है। उक्त आराजी में प्रार्थी एडवर्स पजेशन के आधार पर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधज्ञा पाबंद करबाना चाह रहा है। एडवर्स पजेशन के आधार पर रिकार्डेड खातेदार को जरिये अस्थाई निषेधज्ञा पाबंद किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि यदि उक्त आराजी में अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधज्ञा पाबंद

सहायक कलक्टर
उच्चैन (भरतपुर)

Scanned by CamScanner

किया जाता है तो प्रार्थी की तुलना में अप्रार्थीगण को होने वाली असुविधा अधिक प्रतीत होने के कारण सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत नहीं होता है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रार्थी का प्रकरण में मजबूत विवाद विषयवस्तु प्रकट नहीं होने, प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति प्रतीत नहीं होने तथा प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से प्रार्थी की तुलना में अप्रार्थीगण को होने वाली असुविधा अधिक प्रतीत होने सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत नहीं होने के कारण उक्त आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः आदेश हैः–

प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 29.08.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

भारती गुप्ता (आर0ए0एस0)
सहायक कलक्टर
उच्चैन भरतपुर

Scanned by CamScanner